न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 22/ 2019 जिला सीकर

1. बीरबल पुत्र श्री रेखाराम जाति जाट, आयु 52 वर्ष
2. श्रीमती श्रवणी देवी पत्नी श्री गणपतराम , आयु 60 वर्ष
निवासीगण ढाणी बेनीवालों की तन आभावास, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राजस्थान)

अपीलान्ट्स

बनाम

1. उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर , जिला सीकर (राज.)
2. भूमिधारी तहसीलदार, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज.)
3. पटवारी हल्का, पटवार भवन आभावास, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राज)

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध

आज्ञा उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर दिनांक 5.9.2018

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री सुल्तान सिंह कुडी
2. रेस्पोंडेन्ट्स की ओर से कोई उपस्थित नहीं

निर्णय

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

दिनांक– 17.7.2019

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर , जिला सीकर के निर्णय दिनांक 5.9.2018 क्रमांकः राजस्व/2018/6425 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 22.5.2019 को प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रमग आभावास, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर स्थित आराजी खसरा नम्बर 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1969, 1978, 1970, 1973/1 1958, 1957, 2150, 2149, 1973/3, 1976 के रकबे में से प्रस्तावित रकबा रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने बाबत प्रस्ताव मय नक्श ट्रेस के तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर , जिला सीकर को भिजवाते हुये अभिशंषा किये जाने पर उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर ने दिनांक 5.9.2018 को माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा बजट घोषणा 2015–16 के परिप्रेक्ष्य में राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र प.3 (2)राज–6/2003/पार्ट/जयपुर दिनांक 10.8.2016 एवं जिला कलक्टर सीकर के पत्रांक राजस्व/16/2619–44 दिनांक 16.8.2016 एवं पत्रांक 4328–53 / राजस्व /2016 दिनांक 2.11.2016 की पालना में एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अभिलेख

नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार संलग्न् सूची व नक्शा ट्रेस में अंकित/ दर्ज खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये है तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर को प्रस्ताव एवं नक्शा ट्रेस की प्रति भेजकर आदेश दिये गये कि निम्न खसरा नम्बरान की कृषि भूमियों बाबत राजस्व अभिलेख में जरिये नामांतरकरण रास्ते के पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुए रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकीन रास्ता दर्ज किया जावे एवं नक्शे में उक्तानुसार तरमीम की जावे । गैर मुमीन रास्ते की भूमि संबंधित खातेदार के खाते में ही रहेगी । तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भेजा गया प्रस्ताव एवं नक्शा ट्रेस आदेश का भाग रहेंगे । किसी न्यायालय का स्थगन आदेश यदि हो, तो स्थगन आदेश समाप्ति उपरान्त अमल दरामद किया जावे ।

क्र. सं.	नाम पटवार मण्डल	राजस्व ग्राम	खसरा नं.	रकबा	रकबा जो रास्ते मेंकाम आ रहा है ।
1	आभावास	भगवतसिंह नगर	1902	0.67है.ब.1	0.0100 है.
2	आभावास	भगवतसिंह नगर	1903	0.61है.ब.1	0.0088 है.
3	आभावास	भगवतसिंह नगर	1904	0.87है.बा.1	0.0130 है.
4	आभावास	भगवतसिंह नगर	1905	0.42है.बा.1	0.1065 है.
5	आभावास	भगवतसिंह नगर	1906	1.36है.बा.1	0.0176 है.
6	आभावास	भगवतसिंह नगर	1969	0.29है.बा.1	0.0800 है.
7	आभावास	भगवतसिंह नगर	1978	2.13है.बा.1	0.0208है.
8	आभावास	भगवतसिंह नगर	1970	0.42है.बा.1	0.0112 है.
9	आभावास	भगवतसिंह नगर	1973/1	0.8533है.बा.1	0.0170 है.
10	आभावास	भगवतसिंह नगर	1958	1.76है.चाही	0.0164 है.
11	आभावास	भगवतसिंह नगर	1957	0.80है.बा.1	0.0280 है.
12	आभावास	भगवतसिंह नगर	2150	0.28है.बा.1	0.0120 है.
13	आभावास	भगवतसिंह नगर	2149	0.66है.बा.1	0.0100 है.

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

14	आभावास	भगवतसिंह नगर	1973/3	1.2733है.बा.1	0.0140 है.
15	आभावास	भगवतसिंह नगर	1976	2.16है.बा.1	0.0336 है.

उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 5.9.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर के निर्णय 5.9..2018 निरस्त किये जाने एवं उक्त आदेश की अनुपालना में राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन या कार्यवाही की जाती है तो उसको प्रभावहीन एवं शून्य करते हुये आलौच्य आदेश से पूर्व की स्थिति दुरूस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधिनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । बहस के दौरान रेस्पोंडेन्ट की ओर से कोई हाजिर नहीं आये । अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता की एकपक्षिय बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि में से मौके पर किसी प्रकार का रास्ता मौजूद नहीं है और न ही पूर्व में एवं वर्तमान में रास्ता प्रचलित होकर चालू ही है और न ही आमजन द्वारा कभी भी प्रस्तावित रास्ते की भूमि में से आवागमन नहीं किया गया न ही उक्त रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड में ही है । अपीलान्ट्स की भूमि में किसी प्रकार का कोई रास्ते का अंकन नहीं है । उनका कहना था कि ग्रम पंचायत आभावास के उप सरपंच रिछपाल सिंह ने रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 व 3 से आपसी मिली भगत कर वोट बैंक को आधार बनाकर अपने चहेते व्यक्तियों को रास्ता दिलवाने की नियत से अपीलान्ट्स की भूमि में सार्वजनिक उपयोग का रास्ता होकर बाला बाला प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये हैं जबकि मौके पर रास्ता न तो था और न ही है तथा राजस्व नक्शे में भी रास्ते का अंकन नही है और न ही रास्ता खुलवाने का आवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत हुआ । अपीलान्ट्स की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1904, 1905, 1906, 1969, 1971, 1972, 1975,1976, 1978 की भूमि में रकबा घटाते हुये रास्ता अंकन करने के अपीलाधीन आदेश पारित किया हैं । खसरा नम्बर 1976, 1969 पर अपीलान्ट संख्या 1 व खसरा नम्बर 1978 पर अपीलान्ट संख्या 2 काबिज है । विवादित भूमि में अपीलान्ट्स को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये बिना ही एक व्यक्ति को नाजायज फायदा पहुँचाने के लिये अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर दिनांक 5.9.2018 निरस्त किया जावे ।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

मैनें प्रकरण के अभिलख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया । प्रकरण में पक्षकारों के

मध्य खातेदारी भूमि में से गैर मुमकीन रास्ता कायम किये जाने संबंध में विवाद है । ग्राम आभावास, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर स्थित आराजी खसरा नम्बर 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1969, 1978, 1970, 1973/1, 1958, 1957, 2150, 2149, 1973/3, 1976 के रकबे में से प्रस्तावित रकबा रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने बाबत प्रस्ताव मय नक्श ट्रेस के तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर , जिला सीकर को भिजवाते हुये अभिशंषा किये जाने पर उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर ने दिनांक 5.9.2018 को माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा बजट घोषणा 2015–16 के परिप्रेक्ष्य में राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र प.3 (2)राज–6/2003/पार्ट/जयपुर दिनांक 10.8.2016 एवं जिला कलक्टर सीकर के पत्रांक राजस्व/16/2619–44 दिनांक 16.8.2016 एवं पत्रांक 4328–53 / राजस्व /2016 दिनांक 2.11.2016 की पालना में एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार संलग्न् सूची व नक्शा ट्रेस में अंकित/ दर्ज खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये है तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर को प्रस्ताव एवं नक्शा ट्रेस की प्रति भेजकर आदेश दिये गये कि निम्न खसरा नम्बरान की कृषि भूमियों बाबत राजस्व अभिलेख में जरिये नामांतरकरण रास्ते के पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुए रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकीन रास्ता दर्ज किया जावे एवं नक्शे में उक्तानुसार तरमीम की जावे । गैर मुमीन रास्ते की भूमि संबंधित खातेदार के खाते में ही रहेगी । तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भेजा गया प्रस्ताव एवं नक्शा ट्रेस आदेश का भाग रहेंगे । किसी न्यायालय का स्थगन आदेश यदि हो, तो स्थगन आदेश समाप्ति उपरान्त अमल दरामद किया जावे ।

चित्रा।
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में सर्वप्रथम प्रकरण के तथ्यों तथा अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये मियाद के संबंध में नरम रूख अपना कर प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है । अपीलान्ट्स की ग्राम आभावास के आराजी खसरा नम्बर 1904, 1905, 1906, 1969, 1971, 1972, 1975,1976, 1978 की भूमि है जिसमें से उन्हें बिना सुने व सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही गैर मुमकीन रास्ता कायम करने का अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धन्तों के खिलाफ होने से निरस्तनीय है । हम समझते हैं कि अपीलान्ट्स विवादित भूमि के खातेदार होने से प्रभावित एवं हितबद्ध व्यक्ति हैं जिन्हें प्राकृतिक न्याय के नैसर्गिक सिद्धन्तों के परिपेक्ष्य सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायिक रूप से आवश्यक है । किसी भी हितबद्ध एवं प्रभावित व्यक्ति को बिना सुने व सुनवाई का अवसर दिये बिना उसके अधिकारों के विपरीत पारित आदेश को न्यायिक आदेश की श्रेणी में नहीं माना जा

सकता । ऐसी स्थिति में हम अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर दिनांक 5.9.2018 को उचित एवं विधिक नहीं होने से अपीलान्ट्स की खातेदारी भूमि की हद तक निरस्त किया जाकर प्रकरण उन्हें उभयपक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने का मौहताज मानते हैं । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर दिनांक 5.9.2018 अपीलान्ट्स की खातेदारी भूमि की हद तक निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उन्हें उभयपक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय आज दिनांक 17.7.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

अति. सम्भागीय आयुक्त

जयपुर

जयपुर